राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1285/2025

यश अग्रवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (पीएचईडी) सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (पीएचईडी) जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता टी.एस. III मुख्य अभियंता (प्रशासनिक) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (पीएचईडी) जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता (पीएचईडी) उत्पादन वितरण एवं राजस्व उप संभाग कार्यालय, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अभी भी न्यायालय में लंबित है, इस बीच प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.1.2025 का आदेश पारित किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उत्पादन वितरण और राजस्व उप–मंडल कार्यालय बहरावा बीकानेर से मंडल कार्यालय नोहर हनुमानगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि

अपीलार्थी का नाम क्रमांक 84 पर विनोद कुमार के स्थान पर उल्लेख किया गया था। अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति प्रारंभ में उसके पिता के स्थान पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 01.02.2022 को दी गई थी और दिनांक 21.2.2022 के आदेश द्वारा कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2 व 3) अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से 135 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी की माता एक वृद्ध महिला है, वह 62 वर्ष की आयु से हाइपो डेंसिटी नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसका लंबे समय से नियमित उपचार चल रहा है, अपीलार्थी अपनी मां का एकलौता पुत्र है, परिवार का कोई अन्य सदस्य उसकी मां की देखभाल नहीं कर रहा है। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.1.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसकी वर्तमान नियुक्ति स्थान यानी डिवीजन सब बहरवा, जिला बीकानेर में सहायक कार्यालय कनिष्ठ के रूप में कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उत्पादन वितरण और राजस्व उप–मंडल कार्यालय बहरावा बीकानेर से मंडल कार्यालय नोहर हनुमानगढ़ में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी की माता एक वृद्ध महिला है, जो कि 62 वर्ष की आयु से हाइपो डेंसिटी नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसका लंबे समय से नियमित उपचार चल रहा है, अपीलार्थी अपनी मां का एकलौता पुत्र है। इस स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर दो सप्ताह में निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि

निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य